रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 1972/माघ 18, 1893

No. 79] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 1972/MAGHA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

SS 11/4/72

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th February 1972

S.O. 116(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Durga Das Bhatia, elected to that House from 4-Amritsar parliamentary constituency in the State of Punjab;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby called upon the said constituency to elect before the 17th March, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/PB-HP/1/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

एस० आ० 116.(अ)—यतः पंजाब राज्य में के 4-अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री दुर्गा दास भाटिया की मृत्यु हो जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 17 मार्च, 1972 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/पंजाब/लो० स०/1/72 (1)]

S.O. 117(E).—In pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 4-Amritsar perliamentary constituency in the State of Punjab in pursuance of its notification No. 100/PB-BP/1/72(1), dated the 7th February, 1972—

(a) the 14th February, 1972, (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 15th February, 1972, (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 17th February, 1972, (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 11th March, 1972, (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 17th March, 1972, (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/PB-HP/1/72(2).]

एस० ओ० 117(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पंजाब लो० स०/1/72 (1), तारीख 7 फरवरी, 1972 के अनुसरण में, पंजाब राज्य में के 4-अमृतसर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क) नाम-निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख—	14 फरवरी, 1972 (सोमवार)
(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख—	15 फरवरी, 1972 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख—	17 फरवरी 1972 (बृहस्पतिवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ—तो मतदान होगा।	11 मार्च, 1972 (शनिवार); और
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	17 मार्च, 1972 (शुक्रवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/पंजाब-लो० स०/1/72 (2)]

S.O. 118(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby fixes the hours from 8-00 A.M. to 5-00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 4-Amritsar parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/PB-HP/1/72(1), dated the 7th February, 1972.

[No. 100/PB-HP/1/72(3).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 118(अ).--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पंजाब/लो० स०/1/72 (1), तारीख 7 फरवरी, 1972 के अनुसरण में, लोक सभा के लिए 4–अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए, 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा।

[सं० 100/पंजाब-लो० स०/1/72 (3)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972